

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 02 फरवरी, 2018

विषय:— वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस0सी0एस0पी0 नहर निर्माण (राज्य सैक्टर) मद के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3458/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/पी-27 (एस0सी0एस0पी0) दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 एवं पत्र संख्या 3722/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/पी-27 (एस0सी0एस0पी0) दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0सी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये निम्न विवरणानुसार प्राक्कलनों की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 59.84 लाख (रू0 उनसठ लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण धनराशि व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित
1	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताकुला में 1.20 कि0मी0 लम्बी पाटिया नहर के पुनरोद्धार की योजना	24.47	24.47
2	Construction of three Tanks in Jaspur village bloc Bhilangan.	35.37	35.37
	Total	59.84	59.84

- (i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।
- (iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- (iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2013 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- (v) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

- (vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- (vii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (x) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
- (i) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीग परिव्यय-06- निर्माणाधीन सिंचाई नहरे 800- अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-00-24 वृहत निर्माण कार्य निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 690/XXVII(2)/2017, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

2309
संख्या- (1)/ II-2016-03(69)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
देवेन्द्र पालीवाल
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव